न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसोटिया (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1/2023

प्रार्थीगण –

1. रामचन्द्र पुत्र मानसिंह
2. गंगासिंह पुत्र पदमसिंह
3. गायत्री देवी पत्नी पदमसिंह
4. रवि पुत्र पदमसिंह
5. चेतनसिंह पुत्र मानसिंह
6. राहुल पुत्र धनसिंह
7. राजकुमारी पत्नी धनसिंह
8. अमित पुत्र धनसिंह

सभी जातियान राजपुरोहित निवासीयान – लूणावास कला जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी–

01.तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर ।

उपस्थिति – 1. श्री प्रहलादसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्त उपस्थित।

निर्णय दिनांक 28/6/2023

पत्रावली आज प्रस्तुत की गयी प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि में खसरा संख्या 241/11, 241/15, 241/2 गांव लूणावास जाटा पटवारी हल्का कालीजाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धवा तहसील झंवर जिला जोधपुर की तरमीम की जो निरस्त कर उनके स्थान पर खसरा सख्या 241/2 के स्थान पर खसरा संख्या 241/11 एंव खसरा संख्या 241/11 के स्थान पर खसरा सख्या 241/2 की तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये तथा तहसीलदार झंवर से मौका जांच रिपोर्ट वास्ते तहरीर जारी की गयी । प्रकरण में तहसीलदार झंवर के पत्र कमांक /भू.अ./2023/1158 दिनाक 09.02.2023 के द्वारा मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार झंवर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लूणावास जाटा के लटठा नक्शा में खसरा संख्या 241/2, 241/11, 241/15 की तरमीम की हुई नही है । प्रार्थी के कब्जा मौका अनुसार खसरा संख्या 241/2 के स्थान पर खसरा संख्या 241/11 एंव खसरा संख्या 241/11 के स्थान पर खसरा सख्या 241/2 की डिजीटल शीट में अशुद्वि होना पाया जिसके स्थान पर शुद्वि किया जाना उचित है । इसी अनुसार एंव पूर्ण मौका फर्द में नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार झंवर द्वारा दी गयी ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया मौका स्थिति /काबिज स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है, साथ ही मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया दौरान बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि जो ऑनलाईन तरमीम की है वह गलत तरमीम की गयी है तथा वर्तमान कब्जानुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर आदेश दिया जाता है कि ग्राम लूणावास जाटा के खसरा सख्या 241/2 के स्थान पर 241/11 एंव खसरा सख्या 241/11 के स्थान पर 241/2 की तरमीम जो अशुद्व है उसे शुद्व किया जावे तथा तहसीलदार झंवर को मौका फर्द दिनांक 03.06.2023 लूणी को निर्णय का भाग समझा जाये। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(पुखराज कंसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner